दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 08.02.2024
निर्णय उद्घोषित: 14.05.2024

सि.वि.(मु) 1926/2023, सि.वि.आ. 60265/2023–रोक

रितु कुमार .... याची

द्वारा: श्री संदीप शर्मा, श्री अनिर्मेश रस्तोगी और सुश्री कंचन सेमवाल, अधिवक्ता

बनाम

तरुण चंदर मलिक और अन्य .... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जय सहाय एंडलॉ और श्री जुबिन एम. जॉन, अधिवक्तागण

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री शलिंदर कौर

<u>निर्णय</u>

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर यह याचिका पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-01 (इसके बाद "एडीजे" कहा जाएगा) के न्यायालय द्वारा सि.वा. संख्या 442/2014

में "तरुण चंदर मलिक बनाम रितु कुमार" शीर्षक वाले वाद में पारित दिनांक 05.09.2023 के आदेश को चुनौती देती है। याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 है, प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी है और प्रत्यर्थी संख्या 2 विद्वान ए.डी.जे. के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 2 है।

2. याचिकाकर्ता व्यथित है कि दिनांक 05.09.2023 के आक्षेपित आदेश के तहत, विद्वान एडीजे ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुद्दा संख्या 4, 5 और 7 को हटा दिया है, जिन्हें मूल रूप से विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2015 के आदेश के तहत तैयार किया गया था। हटाए गए मुद्दे इस प्रकार हैं:

> *मुद्दा संख्या 4: "क्या वाद संपति मृतक श्री तारा चंद मलिक या एचयूएफ संपति की स्व-अर्जित संपति है? ओपीडी"*
>
> *मुद्दा संख्या 5: "क्या वादी स्वर्गीय श्री तारा चंद मलिक और उनकी पत्नी श्रीमती भगवंती देवी के दत्तक पुत्र थे? ओपीपी"*
>
> *मुद्दा संख्या 7: "क्या वाद आवश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन के लिए अनुपर्युक्त है?*
> *ओपीडी"*

3. याचिकाकर्ता अपने आवेदन दिनांक के रूप में और व्यथित है 31.05.2023 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के तहत (इसके बाद - सि.प्र.सं), प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा न्यायालय के निर्देश पर पेश किए गए नए दस्तावेजों के लिए प्रतिपरीक्षण के लिए वादी/प्रतिवादी नंबर 1 को वापस बुलाने की अनुमति नहीं दी गई थी।

4. तथ्यों का वर्णन प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा 68, जनपथ, नई दिल्ली - 110001 (जिसे आगे 'वाद संपत्ति' कहा जाएगा) में 7246 वर्ग फीट की संपत्ति पर कब्जे की प्राप्ति के लिए दायर वाद से शुरू किया जा सकता है, जो याचिकाकर्ता के कब्जे में है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दावा किया कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 की जैविक रूप से बड़ी बहन है और प्रत्यर्थी संख्या 2 याचिकाकर्ता का पति है जो एक प्रोफार्मा पक्ष है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को लगभग 1.5 वर्ष की आयु में स्वर्गीय श्री तारा चंद मलिक और उनकी पत्नी श्रीमती भगवंती को गोद लेने की रस्म के बाद और दिनांक 04.02.1968 को विधिवत पंजीकृत दत्तक विलेख के निष्पादन के बाद गोद दिया गया था। स्वर्गीय श्री तारा चंद मलिक प्रत्यर्थी संख्या के पिता स्वर्गीय श्री राम नाथ मलिक के पैतृक चाचा थे। प्रत्यर्थी संख्या 1 और याचिकाकर्ता, जिनके पास वाद संपत्ति का स्वामित्व था और उन्होंने इसे प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 16.08.1968 की वसीयत द्वारा उसके पक्ष में दिया गया था, जिसके लिए 02/28.08.1969 का प्रोबेट प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। श्री टी.सी. मलिक निःसंतान थे। उक्त वसीयत के आधार पर दिनांक 08.02.2006 को एक हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया गया था, उक्त हस्तांतरण विलेख पर भरोसा करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने वाद संपत्ति के स्वामित्व का दावा किया। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 ("प्रतिवादी") को लाइसेंस के रूप में वाद संपत्ति में प्रस्तुत किया गया था जब पक्षों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे। इसके बाद, संबंध खराब हो गए,

इसके बाद वाद संपत्ति पर कब्जे की मांग करते हुए दिनांक 24.06.2008 को एक नोटिस भेजा गया और विधिवत तामील किया गया, हालांकि, प्रतिवादियों ने वाद संपत्ति खाली नहीं की और पूर्वोक्त के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 2014 में वर्तमान सिविल वाद संख्या 442/2014 दायर किया था, जिसमें वाद संपत्ति के कब्जे और अंतर-लाभकारी लाभ की वसूली की मांग की गई थी।

5. याचिकाकर्ता ने सिविल वाद का विरोध किया और लिखित बयान दाखिल किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 और याचिकाकर्ता के बीच जैविक संबंध विवादित नहीं था, हालांकि, याचिकाकर्ता ने इस बात का खंडन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को स्वर्गीय श्री तारा चंद मलिक को गोद दिया गया था। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वाद संपत्ति में एक कमरा याचिकाकर्ता के कब्जे में है, जो वर्ष 1993 में हुए मौखिक पारिवारिक समझौते के अनुसार मालिक है। इस मौखिक पारिवारिक समझौते के अनुसार, संयुक्त हिंदू परिवार के सभी पांच सदस्य श्री राम नाथ मलिक द्वारा धारित अचल और चल संपत्तियों में समान हिस्से के हकदार थे। याचिकाकर्ता ने लिखित बयान के माध्यम से मुकदमे को खारिज करने की प्रार्थना की, साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 को 1993 के मौखिक पारिवारिक समझौते को लागू करने के निर्देश भी मांगे।

6. यह ध्यान दिया जाना चाहिए, याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 1 के जैविक पिता के पास संयुक्त परिवार की संपत्ति थी (जो

पहले स्वर्गीय श्री तारा चंद मलिक और स्वर्गीय श्रीमती भगवन्तीत द्वारा आयोजित की गई थी)।) :-

> *"(क) 68, जनपथ, नई दिल्ली 110001अपने बड़े बेटे श्री तरुण चंद्र मलिक, वादी के नाम पर*
> *(ख) 15, बाबर लेन, नई दिल्ली 110001 उनके बड़े बेटे श्री तरुण चंद्र मलिक, वादी के नाम पर*
> *(ग) 60, जोर बाग, नई दिल्ली अपने छोटे बेटे श्री राजीव मलिक के नाम पर*
> *(घ) 60/18, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005।*
> *(ङ) 60/19, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 मार्च 1988 से अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह रही है और अपने कब्जे में है।*
> *(च) 61/27, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005*
> *(छ) 61/31, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005 (अब बिक चुका है)"*

7. क्रमांक संख्या (घ), (ङ) और (च) में संपत्तियों को "तारा चंद मलिक चैरिटेबल ट्रस्ट" नामक एक अपंजीकृत ट्रस्ट द्वारा रखा गया है। याचिकाकर्ता ने स्वर्गीय श्री तारा चंद मलिक द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को गोद लेने पर सवाल उठाते हुए आग्रह किया कि स्वर्गीय श्री राम नाथ मलिक ने खुद को प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता के रूप में प्रस्तुत करना जारी रखा। उन्होंने विभिन्न कारणों से स्वर्गीय श्री तारा चंद मलिक की वसीयत की प्रामाणिकता को भी चुनौती दी और कहा कि मौखिक पारिवारिक समझौते के आधार पर, वह वाद संपत्ति के कब्जे में आ गए। याचिकाकर्ता ने अभिवचन दिया है कि मौखिक पारिवारिक समझौते के अनुसरण में, उन्हें वेतन-सह-लाभ के आधार पर पारिवारिक फर्म

जिसका नाम मेसर्स मलिक एंड एसोसिएट्स है, में शामिल किया गया था। उन्होंने दलील दी कि स्वर्गीय श्री राम नाथ मलिक, स्वर्गीय श्रीमती कांता मलिक और श्री राजीव मलिक द्वारा रखे गए कुछ मूल्यवान इक्विटी शेयर भी प्रत्यर्थी संख्या 1 को हस्तांतरित कर दिए गए थे। और म.संख्या 60/19, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली को याचिकाकर्ता को हस्तांतरित किया जाना था।

8. एक बार प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रतिकृति दायर किए जाने के बाद, पक्षों के अभिवचन के आधार पर 11 मुद्दों को तैयार किया गया था। इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने साक्ष्य के माध्यम से अपना हलफनामा दायर किया और याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न तिथियों पर प्रतिपरीक्षा की गई।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 06.07.2018 को केवल स्वयं की जांच करने के बाद वादी साक्ष्य समाप्त कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सि.प्र.सं के आदेश XI नियम 14 के तहत 25.10.2018 को अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आवेदन दिया, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वीकार किया कि वह प्रस्तुत कर सकता है। 13.05.2019 को, विद्वान विचारण न्यायालय ने अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, जो इस प्रकार हैं:

> *(i) श्रीमती भगवंती की वसीयत कथित तौर पर 1983 में निष्पादित की गई थी, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 की कथित दत्तक माता थी।*

(ii) प्रतिवादी नंबर 1 के कथित दत्तक पिता तारा चंद मलिक की कथित वसीयत का 02.08.1969 का प्रोबेट आदेश

10. इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपने अभिवचन और प्रतिपरीक्षा में की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर सि.प्र.सं की धारा 151 के साथ आदेश XII नियम 6 के तहत मुद्दा संख्या 5 पर निर्णय सुनाने के लिए 24.09.2021 को एक आवेदन दायर किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने 23.07.2022 को याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि आवेदन पहले से पेश किए गए सबूतों पर आधारित था और अभी भी एक विचारणीय मुद्दा था जो इसे सि.प्र.सं के आदेश XII नियम 6 के दायरे से बाहर कर देता है। फिर मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया, जो असफल साबित हुआ और इसे 31.05.2023 को वापस कर दिया गया।

11. इसके बाद, याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 1 दोनों ने सि.प्र.सं की धारा 151 के तहत आवेदन दायर किए और दोनों आवेदनों को 05.09.2023 को बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया। याचिकाकर्ता ने सि.प्र.सं की धारा 151 के तहत दिनांक 31.05.2023 को अपने आवेदन के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 को 13.05.2019 के आदेश के अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेजों के संबंध में आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए वापस बुलाने की मांग की। दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता के साक्ष्य के रूप में अपना

शपथपत्र दायर करने के अधिकार को बंद करने के साथ-साथ उसके बचाव को समाप्त करने के लिए दिनांक 21.05.2023 को एक आवेदन दायर किया था।

12. आक्षेपित आदेश दिनांक 05.09.2023 के तहत, विद्वान एडीजे ने मुद्दा संख्या 4, 5 और 7 को हटा दिया और अभिनिर्धारित किया कि:

> *"इस न्यायालय के विचार में, गोद लेने के बावजूद, एक बार जब वादी द्वारा वसीयत तैयार कर ली गई, जिस पर प्रोबेट प्रदान किया गया है और 16.08.1968 की वसीयत और 2/28 अगस्त 1969 का प्रोबेट प्रमाणपत्र चुनौती रहित रहा, तो गोद लेने के प्रश्न का निर्धारण करने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा, चूंकि हस्तांतरण विलेख को उचित कानूनी सहारा लेकर चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए वर्तमान मुकदमे के लिए इस मुद्दे पर निर्णय लेना भी अनुकूल नहीं है कि क्या वाद संपत्ति स्वर्गीय श्री तारा चंद मलिक की स्व-अर्जित संपत्ति है या एचयूएफ संपत्ति है। ये प्रश्न प्रासंगिक होते यदि प्रतिवादियों ने उन दस्तावेजों को चुनौती देने के लिए सीमा के भीतर उचित कानूनी सहारा लिया होता, जिन पर वादी ने अब अपना मामला आधारित किया है। इसलिए, यह मुद्दा भी कि मुकदमा आवश्यक पक्षों के गलत संयोजन के लिए बुरा है, इस न्यायालय के समक्ष विवाद से बाहर है। इस न्यायालय का विचार है कि मुद्दे संख्या 4, 5 और 7 पर निर्णय लेना केवल विलम्बकारी है और कीमती न्यायिक समय की बर्बादी है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई प्रतिदावा भी दायर नहीं किया गया है। इसलिए, मुद्दे संख्या 4, 5 और 7 को खारिज किया जाता है।*

13. विद्वान एडीजे, सि.प्र.सं की धारा 151 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन के संबंध में, प्रत्यर्थी संख्या 1 को आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए वापस बुलाने की मांग करते हुए, इसे खारिज कर दिया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:

"इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, ऊपर बताए गए कारणों से गोद लेने पर निष्कर्ष विवाद पर तब तक कोई असर नहीं डालेगा जब तक कि दिनांक 08.02.2006 को जारी किए गए हस्तांतरण विलेख के लेन-देन को कानून के अनुसार चुनौती नहीं दी जाती। अन्यथा भी, वादी गवाह या दस्तावेजों का लेखक न होने के कारण उन पर गवाही देने के लिए सक्षम नहीं है। आवेदन स्वीकार करने से मुकदमे में देरी होगी। इसलिए, इसे खारिज किया जाता है"

14. इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी के साक्ष्य को समाप्त करने के लिए सि.प्र.सं की धारा 151 के तहत प्रस्तुत आवेदन को विद्वान एडीजे द्वारा निपटाया गया, तथा पूर्व में लगाए गए खर्चों के भुगतान के अधीन, 3 प्रभावी अवसर प्रदान किए गए।

<u>याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियाँ:</u>

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एडीजे ने सि.प्र.सं. के आदेश XIV नियम 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना मामले के समान तथ्यों और परिस्थितियों के तहत तैयार किए गए पहले से तैयार मुद्दों को हटाते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया। मुख्य रूप से तर्कहीन निष्कर्षों के आधार पर इन मुद्दों को हटाने से सि.प्र.सं. की धारा 151 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा, आक्षेपित आदेश के कारण, पक्षकारों के अधिकारों के निर्धारण से जुड़े विवाद का आधार बनाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को हटाकर याचिकाकर्ता व्यावहारिक रूप से प्रतिवादहीन छोड़ दिया।

16. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि गोद लेने का मामला प्रत्यर्थी संख्या 1 के मुकदमे की आधारशिला के रूप में कार्य करता है, और पक्षों के बीच विवाद को तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय गोद लेने के मुद्दे पर न्यायनिर्णय नहीं करती। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मुद्दों के संबंध में साक्ष्य पेश करने के अवसर से इनकार करने से याचिकाकर्ता के हितों के लिए महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह उत्पन्न हो रहा है और पक्षों के बीच मामले के न्यायसंगत न्यायनिर्णयन में बाधा आ रही है।

17. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि वसीयत की विशिष्ट सामग्री में गहराई से जाने के बिना प्रोबेट प्रदान किया जाता है। प्रोबेट न्यायालय के पास संबंधित संपत्तियों के स्वामित्व से संबंधित मामलों को तय करने या यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं है कि क्या उक्त संपत्तियां, जैसा कि वसीयत में दी गई हैं, पैतृक संपत्ति थीं या वसीयतकर्ता की व्यक्तिगत अधिग्रहण थीं। इसके अतिरिक्त, अधिवक्ता ने दावा किया कि गोद लेने की वैधता स्थापित करने या स्वामित्व अधिकारों का निर्धारण करने में एक हस्तांतरण विलेख का कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा, आदेश XI नियम 14 सि.प्र.सं. के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को अनुमति देते हुए, विद्वान विचारम न्यायालय ने देखा कि गोद लेने के मुद्दे को तय करने के लिए श्रीमती भगवती की वसीयत आवश्यक है। —ऐशानी चंदना मेहरा बनाम राजेश चंदना और अन्य" [सि.वा.(मू.प.) 235/2018 पर 08.01.2019 को

निर्णय लिया गया] और —मोतुरु नलिनी कंठ बनाम गैनेडी कालीप्रसाद (मृत) के माध्यम से LRs [एमएएनयू/एससी/1240/2023] पर भरोसा किया गया

18. बहस को समाप्त करने के लिए, श्री शर्मा ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दो महत्वपूर्ण दस्तावेज अभिलेख पर आए हैं; याचिकाकर्ता को इन दस्तावेजों की पुष्टि करने के लिए अ.सा.-1 से प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार है, जिसके लिए उसे अवसर दिया जाना चाहिए।

<u>प्रत्यर्थीगण की प्रस्तुतियाँ</u>

19. प्रस्तुतियों का खंडन करते हुए, श्री जय सहाय एंडलॉ ने अभिवचन दिया कि आरोपित आदेश न्यायोचित है और इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि विद्वान एडीजे ने मुद्दों को स्वतः संज्ञान लेकर हटाकर कानून के दायरे में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है। जैसे ही विद्वान एडीजे के संज्ञान में आया कि कुछ मुद्दे अनावश्यक थे और पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने देने से न्यायालय का कीमती समय बर्बाद होगा, उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर उक्त मुद्दों को हटा दिया। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर मुद्दों को हटा या जोड़ सकती है।

20. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **"केके वेलुसामी बनाम एन पलानीसामी" (2011) 11 एससीसी 275** पर भरोसा किया, जहां सि.प्र.सं की धारा 151 की सटीक प्रकृति और दायरे से निपटा गया और स्पष्ट किया गया।

21. श्री जय सहाय एंडलॉ ने याचिकाकर्ता के इस तर्क का भी खंडन किया कि अ.सा. 1 को अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ सामना किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों के उत्पादन के लिए एक सीमित अभिवचन दिया था जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने अनुमति दी है लेकिन इन दस्तावेजों को अ.सा. 1 के सामने नहीं रखा जा सका क्योंकि प्रतिवादियों को दस्तावेजों का खंडन करने का कभी मौका नहीं मिला और यदि अ.सा. 1 की आगे की प्रतिपरीक्षा की अनुमति दी जाती है, तो यह प्रत्यर्थीगण के दावों को नुकसान पहुंचाएगा।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

22. वर्तमान याचिका प्रस्तुत करके याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है, जो अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकार क्षेत्र पर न्यायिक निगरानी के एक महत्वपूर्ण पहलू को रेखांकित करता है, जैसा कि विभिन्न विधिक पूर्व निर्णयन के माध्यम से व्याख्या की गई है। यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है कि अधीनस्थ निकाय अपने अधिकार के दायरे में काम करें। यह शक्ति केवल त्रुटि सुधार के

लिए नहीं है, बल्कि कानून या न्याय के मौलिक सिद्धांतों के गंभीर उल्लंघन को सुधारने के लिए है। अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालयों को अपीलीय निकायों के रूप में कार्य करने से बचना चाहिए। उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप केवल कर्तव्य की गंभीर उपेक्षा के मामलों में या जब कोई निष्कर्ष इतना स्पष्ट रूप से गलत हो कि उसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हो, तो वारंट किया जाता है। इस अधिकार क्षेत्र का दायरा उच्च न्यायालय को तथ्यात्मक आकलन या साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने से रोकता है, जब तक कि कानूनी सिद्धांतों से कोई स्पष्ट विचलन या सत्ता का स्पष्ट दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 227 का सार आदेशों की शुद्धता की समीक्षा करने में नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने में निहित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कानूनी मानदंडों के अनुरूप हो, इस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखा जा सके।

23. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आक्षेपित आदेश को अनुच्छेद 227 के दायरे में परखा जाना है। पक्षकारों की प्रस्तुतियों, तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और आक्षेपित आदेश की वैधता का विज्ञापन करने से पहले, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मुद्दों को विरचित करने के लिए न्यायालय की शक्ति का पता लगाना आवश्यक है।

24. "मुद्दों का निर्धारण" उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें सिविल वाद में पीठासीन न्यायाधीश शामिल पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और

दस्तावेजों के आधार पर विशिष्ट बिंदु या प्रश्न तैयार करता है। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वाद की कार्यवाही के दायरे और दिशा को परिभाषित करने में मदद करता है। न्यायाधीश की भूमिका मुकदमे के दौरान संबोधित और हल किए जाने वाले सटीक मुद्दों को निर्धारित करने से पहले प्रत्येक पक्ष द्वारा प्रस्तुत आरोपों, बचाव और प्रासंगिक साक्ष्य की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना है। इस चरण के दौरान न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अभिवचनों और दस्तावेजों का विश्लेषण करने में उचित परिश्रम और सावधानीपूर्वक विचार करे। ऐसा करके, यह सुनिश्चित करता है कि तैयार किए गए मुद्दे मामले के विवादित पहलुओं को सटीक रूप से दर्शाते हैं और निर्णय की आवश्यकता वाले सभी प्रासंगिक कानूनी और तथ्यात्मक मामलों को शामिल करते हैं। यह गहन जांच मुकदमे की प्रक्रिया में निष्पक्षता, स्पष्टता और दक्षता को बढ़ावा देने में मदद करती है। संक्षेप में, मुद्दों को तैयार करना वाद के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करता है, पक्षों और न्यायालय को उनके तर्कों पर ध्यान केंद्रित करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने और अंततः एक न्यायसंगत समाधान तक पहुँचने में मार्गदर्शन करता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक चरण है जिसका उद्देश्य न्यायालय के समक्ष विवाद के संरचित और सार्थक निर्णय को सुविधाजनक बनाना है।

25. सि.प्र.स. के आदेश XIV नियम 5 में न्यायालय के मुद्दों को संशोधित करने और हटाने की शक्ति का वर्णन किया गया है। प्रावधान को सरलता से

पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय किसी भी समय डिक्री पारित करने से पहले मुद्दों को संशोधित कर सकता है और न्यायालय को किसी भी मुद्दे को हटाने की अनुमति देता है। मुद्दों को न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने पर और पक्षों के बीच विवाद का निर्धारण करने के लिए आवश्यक होने पर पुनः तैयार किया जा सकता है।

26. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने 14.05.2015 को ही अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर लिया था, जब मुद्दे उसके द्वारा तय किए गए थे। किसी भी पक्ष ने तय किए गए मुद्दों पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी और प्रत्यर्थीगण ने उक्त मुद्दों पर साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के मुद्दों को हटाने में गलती की है जो कानून में अस्वीकार्य है।

27. इसलिए, इस याचिका में पहले यह न्यायनिर्णयन किया जाना आवश्यक है कि क्या मुद्दों को स्वतः हटाने का अभ्यास आवश्यक था या नहीं।

28. याचिकाओं को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि वादपत्र में यह कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 श्री तारा चंद मलिक का दत्तक पुत्र है, जिस तथ्य को याचिकाकर्ता ने लिखित बयान में विवादित किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 दत्तक पुत्र नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता हैं, श्री राम नाथ मलिक को श्री तारा चंद मलिक और श्रीमती भगवती ने 8 वर्ष की आयु में गोद लिया था। श्री राम नाथ मलिक ने अपने प्राकृतिक

परिवार के साथ सभी पुराने संबंध तोड़ दिए और दत्तक परिवार में नए संबंध बनाए। श्री रन नाथ मलिक के दत्तक माता-पिता ने उनका विवाह श्रीमती कांता से कर दिया, जिनसे तीन बच्चे हुए यानी याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1 और श्री तरुण चंदर मलिक और पूरा परिवार 15 बाबर लेन, नई दिल्ली में एक साथ रहता था।

29. याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित बचाव में यह भी कहा गया है कि श्री तारा चंद मलिक की संपत्ति याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 1 के माता-पिता और उनके अन्य भाई-बहन को मौखिक पारिवारिक समझौते के आधार पर समान शेयरों में हस्तांतरित की गई है। इसलिए पूर्वोक्त के मद्देनजर, मुद्दा संख्या 5 एक प्रासंगिक मुद्दा है और इसे साबित करने की जिम्मेदारी प्रत्यर्थी पर है।

30. अब मुद्दा संख्या 4 पर आते हैं, याचिकाकर्ता द्वारा वाद में यह प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया है कि श्री तारा चंद मलिक की संपत्ति एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी, जिसमें वह संपत्ति भी शामिल है जिसके लिए 1993 में मौखिक पारिवारिक समझौता हुआ था। इसके अलावा, मुकदमे में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा यह अभिवाक् प्रस्तुत किया गया कि वाद के लिए कार्रवाई का कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में और याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ तब उत्पन्न हुआ जब उन्होंने और विशेष रूप से याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 की संपत्ति में अपने अधिकारों का दावा करना शुरू किया। तदनुसार, मुद्दा

संख्या 4 के संबंध में, यह एक प्रासंगिक मुद्दा है क्योंकि मुद्दे को साबित करने का दायित्व याचिकाकर्ता पर है।

31. हालांकि, मुद्दा संख्या 7 के संबंध में कि वाद आवश्यक पक्षों के कुसंयोजन के कारण खराब है, एक अप्रासंगिक मुद्दा है क्योंकि याचिकाकर्ता का कोई विशिष्ट कथन नहीं है कि कौन सा पक्ष आवश्यक पक्ष नहीं है। इसलिए, मुद्दा संख्या 7 को बहाल नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, आक्षेपित आदेश को मुद्दा संख्या 4 और 5 को हटाने की सीमा तक अपास्त किया जाता है, क्योंकि वे प्रासंगिक मुद्दे हैं। पूर्वोक्त के मद्देनजर, मुद्दा संख्या 4 और 5 को बहाल किया जाता है।

32. याचिकाकर्ता की अगली शिकायत पर आते हैं कि उसे अतिरिक्त दस्तावेजों के संबंध में आगे के प्रतिपरीक्षण के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को वापस बुलाने की अनुमति नहीं दी गई है, अर्थात, (i) श्रीमती भगवती की वसीयत जिसे वर्ष 1988 में कथित रूप से निष्पादित किया गया था और (ii) श्री तारा चंद मलिक की कथित वसीयत का 02.08.1969 का प्रोबेट ऑर्डर। यह इंगित करना आवश्यक है कि उक्त अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लाया गया है जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय से अनुमति मांगने के बाद प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता ने प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त दस्तावेज को प्रतिवादी नंबर 1 के सामने रखने की अनुमति मांगी है। कहने की जरूरत नहीं है कि श्रीमती भागवंती की वसीयत विद्वान विचारण

न्यायालय के समक्ष जारी नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास रखी जाने वाली वसीयत की प्रासंगिकता याचिकाकर्ता द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 1 से श्रीमती भगवंती की वसीयत के बारे में स्पष्टीकरण मांगने से कोई फलदायी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

33. दूसरा दस्तावेज़ 02.08.1969 का प्रोबेट आदेश है, क्योंकि वसीयत पहले से ही प्रमाणित है, वसीयत की प्रोबेट के परिणामों पर न्यायालय द्वारा उचित चरण में विचार किया जाएगा, जिसके लिए पक्षों के समक्ष के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 151 सि.प्र.सं. के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करते हुए पारित आदेश में कोई कमी नहीं है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 को आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए फिर से बुलाने की मांग की गई थी।

34. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद, विद्वान विचारण न्ययाालय द्वारा हटाए गए मुद्दे संख्या 4 और 5 की सीमा तक आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया है। पार्टियों द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया जाता है, वे अपने स्वयं के तथ्यों पर तय किए जाते हैं और वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग होते हैं।

35. परिणामस्वरूप, लंबित आवेदन के साथ याचिका का निपटान किया जाता है।

शलिंदर कौर, न्या.

14 मई 2024

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*